विमुद्रीकरण: चुनाव पर प्रभाव

एस वाई कुरैशी

नोटबंदी के बाद राजनीतिक पार्टियां उतनी मात्रा में मतदाताओं को नकदी नहीं बांट पाएंगी। साथ ही सरकारी खजाने से लोगों को मुफ्त सामान बांटने की प्रवृत्ति को भी काबू में किया जा सकेगा। हालांकि इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग को निर्देश जारी किए हैं लेकिन इस पर बारीकी से नजर रखनी जरूरी है। विमुद्रीकरण एक ऐसा अभूतपूर्व कदम है जिसका असर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों पर पड़ेगा। नकदरहित लेन-देन पारदर्शिता लाने और निगरानी रखने, दोनों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा

अभी हाल तक भारतीय राजनीति में मतदाताओं को प्रभावित करने और चुनाव जीतने के लिए धन-बल का व्यापक उपयोग किया जाता रहा है। लोगों का मानना है कि चुनावों में जीत के लिए बस एक ही मंत्र काम करता है, वह यह कि चुनाव के एक दिन पहले लोगों के बीच पैसा और शराब बांट दीजिए और नेताओं का भविष्य रातोंरात बदल लीजिए। दरअसल वर्षों से राजनीतिक दलों ने रुपये-पैसे की चमक दिखाकर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों का जैसे तमाशा ही बना दिया है। और इसके पुख्ता सबूत भी हैं।

एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) द्वारा किए गए एक विश्लेषण से पता चलता है कि वर्ष 2011 में तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल, पुद्दूचेरी और असम में हलफनामा दायर करने वाले 576 उम्मीदवार (आकलन किए गए 3547 उम्मीदवारों में से 16 प्रतिशत) करोड़पति थे। 50 प्रतिशत उम्मीदवारों ने कभी आयकर रिटर्न नहीं भरा था। क्या दूसरे राज्यों में इससे कुछ अलग स्थिति हो सकती है?

चुनाव में भ्रष्टाचार का बीज बोने से क्या होगा? इसके अंकुर से देश में भ्रष्टाचार का पौधा ही पनपेगा। जब राजनीतिक दल और उम्मीदवार चुनाव प्रचार में करोड़ों खर्च करेंगे, तो सत्ता में आने के बाद हर संभव तरीके से धन कमाने की जुगत करते रहेंगे। राजनीतिज्ञों और नौकरशाही का गठजोड़ भी जारी रहेगा। जब सत्ता की दो सबसे मजबूत इकाइयां इस अपवित्र गठजोड़ का हिस्सा बनती हैं तो भ्रष्टाचार का पौधा वृक्ष बनता हुआ जीवन के हर क्षेत्र में अपनी शाखाएं फैलाता जाता है। कांस्टेबल या पटवारी जैसी निचली श्रेणी के कर्मचारी जब कहते हैं कि 'ऊपर तक देना है' तो यह साफ हो जाता है कि हमारा तंत्र भीतर से किस कदर सड़ चुका है।

चुनावों में सरकारी वित्तीयन

ऐसा नहीं है कि सभी राजनीतिक नेता चुनावों में धन के दुरुपयोग पर आंखें मूंदे हुए हैं। ऐसे अनेक नेता हैं जो धन-बल और चुनावों के बीच चोली-दामन के इस साथ पर चिंता जाहिर करते हैं लेकिन इस समस्या के किसी उचित समाधान के अभाव में यह सिर्फ कोरा अफसोस बनकर रह जाता है। इस विषय पर संसद में बहस भी हुई है, समितियों का गठन भी किया गया है और चुनावों में सरकारी फंडिंग की आवाजें भी उठती रही हैं।

इस मुद्दे पर 1999 में इंद्रजीत गुप्ता समिति का गठन किया गया था इसमें मनमोहन सिंह, सोमनाथ चटर्जी और कई दिग्गज नेता शामिल थे। समिति का कहना था कि चुनावों में कुछ हद तक सरकारी फंडिंग की जाए, लेकिन फंडिंग की शर्त यह थी कि पार्टियों का आंतरिक ढांचा लोकतांत्रिक हो। इस एक शर्त को कोई भी पार्टी मानने को तैयार नहीं थी।

भारतीय चुनाव आयोग भी मतदाताओं को रिझाने की इस प्रवृत्ति से अत्यंत चिंतित है। मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) का पदभार संभालने के समय एक पत्रकार वार्ता में मैंने कहा था कि मेरे सामने दो चुनौतियां हैं- धन का दुरुपयोग और मतदाताओं की

भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। चुनाव सुधारों पर उसकी पुस्तक *एन अनडाक्यूमेंटेड वंडर : द मेकिंग ऑफ ग्रेट इंडियन इलेक्शन* काफी चर्चित रही है। वह भारत के खेल एवं युवा मामले मंत्रालय के सचिव भी रहे हैं तथा अन्य कई प्रमुख पदों पर कार्य कर चुके हैं। ईमेल: syquraishi@gmail.com

इस कदम का आने वाले चुनावों पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। यही वह समय होता है जब कालेधन को वितरण की पाइपलाइन में लगाया जाता है। यहां तक कि सीमा पार से आने वाली नकली करेंसी का जाल भी चुनावों के दौरान खूब फैलता है। इस पर प्रधानमंत्री के इस कदम का बड़ा असर होगा।

उदासीनता। इन दो चुनौतियों से निपटने के लिए दो नई शाखाओं का गठन किया गया। दोनों को सफलताएं मिलीं। एक तरफ आयोग के अधिकारियों द्वारा शराब सहित बेहिसाब वस्तुएं और करोड़ रुपए जब्त किए गए, तो दूसरी तरफ 2014 में अब तक के सबसे अधिक मतदान का रिकॉर्ड भी कायम हुआ। हमारी पहल से दो ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल हुईं। चुनाव आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश के एक विधायक को अयोग्य ठहराने के बाद उसे अपनी सदस्यता गंवानी पड़ी और नकदी जब्त होने के बाद आयोग ने झारखंड में राज्यसभा चुनावों को रद्द कर दिया।

इसके अतिरिक्त मतदाता शिक्षा कार्यक्रम के माध्यम से मतदाताओं को शिक्षित किया गया और उन्हें यह समझाया गया कि वे वोटों की खरीद-फरोख्त में शामिल ना हों। वर्ष 2011 से हर वर्ष 25 जनवरी को *राष्ट्रीय मतदाता दिवस* मनाया जाता है जिसमें नए वोटरों, अधिकतर युवाओं को नैतिक मतदान की शपथ दिलाई जाती है। यह दुनिया का सबसे बड़ा मतदाता नामांकन कार्यक्रम है। अब तक लगभग 14 करोड़ मतदाता यह प्रतिज्ञा ले चुके हैं।

एक सक्रिय व्यय नियंत्रण प्रभाग, एक सहायक मतदाता शिक्षा विभाग और सतर्क मीडिया एवं नागरिक समाज के साथ चुनावों के लिए आचार संहिता बनाने के काम को टाला नहीं जा सकता। फिर भी, यह एक दुखद वास्तविकता है कि चुनावों में कालेधन का प्रयोग बदस्तूर जारी है।

वैसे यह भी सच है कि लोकतंत्र में धन के बिना चुनाव नहीं लड़ा जा सकता लेकिन फिर हम इस बात की इजाजत नहीं दे सकते कि धन कुछ इस हद तक सिर चढ़कर बोले कि सिर्फ अमीर लोग ही चुनाव लड़ सकें और पूरी राजनीतिक प्रक्रिया को अपनी जेब के हवाले कर दें।

हमारे देश का कानून यह तय करता है कि उम्मीदवार चुनावों पर अधिकतम कितना खर्च कर सकते हैं, लेकिन राजनीतिक दलों के खर्च पर कोई सीमा तय नहीं है। जब राजनीतिक दलों के खर्चे की कोई सीमा तय नहीं है तो उम्मीदवारों के खर्च की सीमा तय करने का क्या औचित्य है? इससे वित्तीय अनुशासनहीनता के हालात भी बनते हैं। अपने प्रतिद्वंद्वियों को पछाड़ने के लिए सभी राजनीतिक दल करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। वर्ष 2014 के आम चुनावों में प्रचार अभियानों पर लगभग 30,000 करोड़ रुपये के खर्चे का अनुमान लगाया गया था।

यह धन कहां से आया है? सूत्रों का कहना है कि यह कॉर्पोरेट फंड, चंदा, कूपन और सदस्यता शुल्क की बिक्री, जमा राशि और किराए पर मिलने वाला ब्याज, राजस्व आय, सभी कुछ हो सकता है। पर चंदा किसने दिया, उस स्रोत का खुलासा नहीं किया जाता। इसमें 75 से 80 प्रतिशत राशि को नकद चंदा बताया जाता है लेकिन यह नहीं बताया जाता कि इसका स्रोत क्या है? यह एक गंभीर मामला है। यह विदेशी धन हो सकता है। अपराध, मादक पदार्थों की तस्करी से कमाया गया या भूमाफिया से प्राप्त किया गया पैसा हो सकता है।

कैश-फॉर-वोट किस प्रकार हमारे देश के चुनावों का हिस्सा बन चुका है, इसकी जानकारी अमेरिका के डिप्लोमैटिक केबल्स के माध्यम से विकिलीक्स द्वारा लीक की गई थी। एक केबल में तमिलनाडु के एक केंद्रीय मंत्री के एक भरोसेमंद सहयोगी के बारे में खुलासा किया गया था, जिसने यह माना था कि वर्ष 2009 के उपचुनाव में प्रत्येक मतदाता को 5,000 रुपए तक दिए गए थे। अपनी जीत के बाद नेताजी ने कहा था कि उनका फॉर्मूला जीत का सूत्र है। यही 'तिरूमंगलम सूत्र' हमारी सबसे बड़ी चुनौती बन गया है।

2014 के चुनाव के दौरान चुनाव आयोग ने लगभग 300 करोड़ रुपए की बेहिसाब नकदी जब्त की थी। 2014 के बाद से सभी विधानसभा चुनावों में नकदी जब्ती की गई है। उदाहरण के लिए 2015 में बिहार के विधानसभा चुनावों में नकदी जब्त की गई जो 19 करोड़ रुपए थी। तमिलनाडु में यह आंकड़ा 100 करोड़ रुपए को पार कर गया।

आज जनता के मन में राजनेताओं को लेकर यही धारणा है कि वे सभी भ्रष्ट हैं। राजनेताओं की ऐसी छवि लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं है। हमारे देश में ईमानदार नेताओं की कमी नहीं है। वास्तव में, महान राजनीतिक नेतृत्व के कारण ही भारत एक शक्तिशाली देश बना है।

यह अक्सर कहा जाता है कि बड़ी मात्रा में कालेधन की मौजूदगी, खास तौर से रियल एस्टेट के क्षेत्र ने भारत को 2008 की विश्वव्यापी मंदी से बचाए रखा था। लेकिन भारतीय चुनावों में धन-बल के प्रयोग का कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकाला जा सकता। 500 और 1000 रुपए के नोटों को बंद करने का प्रधानमंत्री का फैसला भी सही समय पर आया। जल्द ही पांच राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। जो राजनीतिक पार्टियां और उम्मीदवार जनता को लुभाने के लिए नोटों से भरे बोरे लेकर तैयार थे, एकाएक यह सोचकर परेशान हो गए कि इन नोटों का क्या किया जाए?

मैं व्यक्तिगत रूप से महसूस करता हूं कि इस कदम का आने वाले चुनावों पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। यही वह समय होता है जब कालेधन को वितरण की पाइपलाइन में लगाया जाता है। यहां तक कि सीमा पार से आने वाली जाली मुद्रा का जाल भी चुनावों

हमारे देश का कानून यह तय करता है कि उम्मीदवार चुनावों पर अधिकतम कितना खर्च कर सकते हैं, लेकिन राजनीतिक दलों के खर्च पर कोई सीमा तय नहीं है। जब राजनीतिक दलों के खर्चे की कोई सीमा तय नहीं है तो उम्मीदवारों के खर्च की सीमा तय करने का क्या औचित्य है? इससे वित्तीय अनुशासनहीनता के हालात भी बनते हैं।

के दौरान खूब फैलता है। इस पर प्रधानमंत्री के इस कदम का बड़ा असर होगा।

इससे पूर्व चुनाव की तारीख निकट आने पर और आचार संहिता लागू होने के बाद पैसे बांटने का काम किया जाता था। जब चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के कान ऐंठने शुरू किए तो यह गोरखधंधा चुनावों के काफी पहले पैर पसारने लगा। इसीलिए चुनावों के कुछ हफ्ते पहले नोटबंदी की

पिछले वर्ष मई में धन के अनियंत्रित उपयोग के कारण चुनाव आयोग ने तमिलनाडु विधानसभा की दो सीटों अरवाकुरुची और तंजावुर में चुनावों को रद्द कर दिया था। चुनाव आयोग ने सरकार को पत्र लिखकर कहा था कि कालेधन के उपयोग पर पक्के सबूत मिलने पर चुनाव रद्द करने का स्थायी कानून बनना चाहिए।

घोषणा से राजनीतिक दलों की सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया।

अपनी किताब द *अनडॉक्यूमेंटेड वंडर- द मेकिंग ऑफ द ग्रेट इंडियन इलेक्शन* में मैंने ऐसे 40 तरीके बताए हैं जिनसे चुनावों में कालेधन के प्रवाह का पता लगाया जा सका ये तरीके और भी हो सकते हैं। लेकिन इनके विकास में समय लग सकता है। फिर भी, आने वाले चुनावों में कालेधन का असर कुछ कम हो सकता है।

जब नोटबंदी के फायदों को गिना जाए तो चुनावों से मिलने वाले सबक पर भी विचार किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री की नोटबंदी की घोषणा के कुछ ही दिन बाद मैंने एक समाचार पत्र के लेख में यह आशंका जताई थी कि इसके बाद बैंक अधिकारियों की मिलीभगत के साथ एक मनी लॉन्ड्रिंग उद्योग फल-फूल सकता है। मेरी आशंका सही साबित हुई। मैंने आगाह किया था कि सरकार को दलालों और बैंक अधिकारियों की मिलीभगत पर नजर रखनी चाहिए। मेरी आशंका अनुभवों पर आधारित थी।

एक बार चुनाव आयोग की सतर्कता टीम ने 2 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी ले जा रही एक गाड़ी को रोका। हमें बताया गया कि यह पैसे एटीएम में भरने के लिए ले जाया जा रहा है। इसलिए हमने माफी मांगते हुए उस गाड़ी को जाने दिया। अगले दिन, एक और गाड़ी पकड़ी गई जिसमें पहले दिन से दुगुनी नकदी भरी थी। तब भी नकदी ले जाने की यही वजह बताई गई। जब तीसरे दिन हमने उसी तरह की एक और गाड़ी पकड़ी जिसमें 11 करोड़ रुपए थे तो हमने जांच करने का फैसला किया। हमने पाया कि न तो उस गाड़ी में सशस्त्र सुरक्षाकर्मी था और न ही दूसरे सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन किया गया था। मैंने रिजर्व बैंक के तत्कालीन गवर्नर डी. सुब्बाराव से बात की। वह यह जानकर अचंभे में पड़ गए कि मनी लॉन्ड्रिंग का एक तरीका यह भी हो सकता है। फिर उन्होंने इस मामले में जांच के आदेश दिए।

पिछले वर्ष मई में धन के अनियंत्रित उपयोग के कारण चुनाव आयोग ने तमिलनाडु विधानसभा की दो सीटों अरवाकुरुची और तंजावुर में चुनावों को रद्द कर दिया था। चुनाव आयोग ने सरकार को पत्र लिखकर कहा था कि कालेधन के उपयोग पर पक्के सबूत मिलने पर चुनाव रद्द करने का स्थायी कानून बनना चाहिए। हालांकि कानून मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है लेकिन मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री कालेधन के खिलाफ अपनी जंग में इस प्रस्ताव पर विचार करेंगे।

भाजपा के आर्थिक मामलों के प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, गोपाल कृष्ण अग्रवाल ने कहा था कि नोटबंदी कम से कम इन चुनावों में तो कालेधन के प्रयोग को नियंत्रित करेगी। उन्होंने कहा था, 'अब तक राजनीतिक दलों पर इस बात का दबाव बनाया जाता है कि वे चुनावी खर्चे का लेखा-जोखा दें लेकिन इस कालेधन के चलन पर कोई प्रभावी नियम लागू नहीं है। नोटबंदी से पार्टियां कालेधन का प्रयोग नहीं कर पाएंगी और चुनावी खर्च अपने आप कम हो जाएगा।' लेकिन ये दावे तभी सही साबित होंगे जब चुनाव सुधारों को अविलंब लागू किया जाए।

इलेक्शन वॉचडॉग एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स (एडीआर) के डॉ. त्रिलोचन शास्त्री का कहना है कि नोटबंदी के बाद राजनीतिक पार्टियां उतनी मात्रा में मतदाताओं को नकदी नहीं बांट पाएंगी। साथ ही सरकारी खजाने से लोगों को मुफ्त सामान बांटने की प्रवृत्ति को भी काबू में किया जा सकेगा। हालांकि इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग को निर्देश जारी किए हैं लेकिन इस पर बारीकी से नजर रखनी जरूरी है।

नोटबंदी और उसके बाद के घटनाक्रम का चुनाव सुधारों पर भी असर पड़ा है जो संभवत: इस पहल का उद्देश्य नहीं था। जब नोटबंदी ने लॉजिस्टिक चुनौतियां पेश कीं, तब सरकार ने ई-बैंकिंग, ई-वॉलेट आदि को बढ़ावा देना शुरू किया। यह नई मुहिम सभी की जुबान पर चढ़ गई। कालेधन की अर्थव्यवस्था को काबू में करने के लिए यह भी एक सकारात्मक पहल है जब एक रिक्शा चालक या सब्जी बेचने वाले को नकद लेन-देन से रोका गया। निश्चित तौर पर इससे मजबूत बैंकिंग प्रणाली की स्थापना होगी और वित्तीय समावेश बढ़ेगा।

बहरहाल यह मांग भी की गई कि राजनीतिक दलों को 20,000 रुपए से नीचे के चंदे की छूट को तुरंत समाप्त किया जाए। इससे 80 प्रतिशत राजनीतिक फंडिंग का खुलासा हो जाएगा जिसे पार्टियां चंदा बताती हैं। उल्लेखनीय है कि हमारे देश में हर वर्ष औसतन 1000 करोड़ रुपए के बराबर राजनीतिक चंदा इकट्ठा होता है।

प्रधानमंत्री ने अपने पार्टी के सांसदों विधायकों को यह भी निर्देश दिया कि वे 8 नवंबर के बाद अपने सभी बैंक लेन-देन का खुलासा करें। इस पर कई सवाल खड़े किए गए लेकिन मेरा मानना है कि इसकी आलोचना करने और अपने सुझाव देने से

बहरहाल यह मांग भी की गई कि राजनीतिक दलों को 20,000 रुपए से नीचे के चंदे की छूट को तुरंत समाप्त किया जाए। इससे 80 प्रतिशत राजनीतिक फंडिंग का खुलासा हो जाएगा जिसे पार्टियां चंदा बताती हैं। उल्लेखनीय है कि हमारे देश में हर वर्ष औसतन 1000 करोड़ रुपए के बराबर राजनीतिक चंदा इकट्ठा होता है।

बेहतर यह होगा कि हम प्रधानमंत्री की इस पहल का स्वागत करें। क्या राजनेताओं की वित्तीय पारदर्शिता की दिशा में यह एक सकारात्मक कदम नहीं कहा जाना चाहिए? सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। वह है बेनामी संपत्ति से जुड़ा कानून। इसका भी चुनावों में कालेधन के प्रयोग पर बड़ा असर पड़ेगा जोकि गैर-कानूनी फंडिंग का एक बड़ा स्रोत है।

विमुद्रीकरण एक ऐसा अभूतपूर्व कदम है जिसका असर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों पर पड़ेगा। नकदरहित लेन-देन पारदर्शिता लाने और निगरानी रखने, दोनों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। मुझे उम्मीद है कि चुनाव सुधारों को जल्द लागू किया जा सकेगा। ❑